

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1459 / 2019

दिनांक 24.07.2019

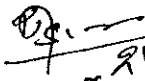
श्रीमती आरती भारद्वाज (RJ0320), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, दौसा को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं :-

1. दिनांक 06.07.2019 से 07.07.2019 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 08.07.2019 से 12.07.2019 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश
दिनांक 13.07.2019 से 14.07.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्रीमती भारद्वाज की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, दौसा के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से


24-7-19

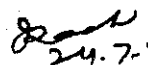
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/25/2000/ 6034

दिनांक 24.07.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, दौसा को उनके पत्रांक 389 दिनांक 15.07.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती आरती भारद्वाज (RJ0320), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, दौसा ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा ।


24.7.2019
सहायक रजिस्ट्रार